

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/कार्य-33/2015 राँची, दिनांक-.....

प्रेषक:

ई० मुक्ति साधन चौरसिया,
उप सचिव (अभियंत्रण)

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: झालको द्वारा कार्यान्वयन हेतु लघु सिंचाई की 5 अदद उदवह सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य लागत राशि रु. 275.80 लाख (रु. दो करोड़ पचहत्तर लाख अस्सी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

2. झालको द्वारा कार्यान्वयन हेतु लघु सिंचाई की 5 अदद उदवह सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य लागत राशि रु. 275.80 लाख (रु. दो करोड़ पचहत्तर लाख अस्सी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. उक्त प्रस्ताव प्रबंध निदेशक झालको, राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर है।
4. प्रस्तावित उदवह सिंचाई योजनाओं में Construction of Intake Well, Pump House, Outlet, Distribution Chamber, Mechanical fitting, Electrical Motor Pump इत्यादि का प्रावधान किया गया है।
5. इन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है—
 - (i) इन योजनाओं का कार्यान्वयन खुली निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
 - (ii) प्रस्तावित उदवह सिंचाई योजनाओं का निर्माण झारखंड लोक निर्माण संहिता 2012 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।
 - (iii) योजनाओं के निर्माण के उपरान्त योजना के संचालन, रख-रखाव एवं विद्युत विपत्र भुगतान का दायित्व जल उपभोक्ता समिति का होगा। अगर कार्यस्थल पर योजनाओं के संचालन, रख-रखाव एवं विद्युत विपत्र भुगतान का दायित्व ग्रहण करने का लिखित सहमति जल उपभोक्ता समिति (WUA) से प्राप्त नहीं रहने पर योजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा।
 - (iv) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टिल फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कराया जाएगा।
 - (v) योजना का कार्य, कार्यस्थल पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने/विद्युत आपूर्ति बहाल होने की कार्रवाई समानान्तर रूप से चलने की स्थिति में ही प्रारम्भ किया जाएगा।
6. इन योजनाओं के निर्माण कार्य से कुल 586 हे. (खरीफ-314 हे., रब्बी-272 हे.) क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित होगी। योजनावार विस्तृत विवरण परिशिष्ट-I में संलग्न है। औसत इंसिडेन्स ऑफ कॉस्ट रु0 47065/- प्रति हे0 आकलित है। प्रत्येक योजना का लाभ-लागत अनुपात 1.0 से अधिक है।
7. इन योजनाओं का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रारम्भ कर वर्ष 2018-19 में पूर्ण किया जाना है।

8. इन कार्यों पर होने वाला व्यय बजट शीर्ष-“4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-101-सतही जल-19-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण-45-मुख्य निर्माण कार्य” अंतर्गत भारित हो सकेगा।
9. इन कार्यों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी प्रबंध निदेशक झालको होंगे।
10. कार्य को डिपोजिट वर्क के रूप में कराया जाएगा। प्रबंध निदेशक झालको प्रस्तावित कार्य हेतु आवंटित राशि को पी0एल0 खाता में जमा करेंगे।
11. इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि की निकासी प्रबंध निदेशक झालको एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।
12. इस राशि की निकासी कोषागार पदाधिकारी कार्यालय राँची से की जाएगी।
13. इन कार्यों के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशो एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
14. झारखंड कोषागार संहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
15. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
16. प्रस्ताव पर विभागीय अनुमोदन प्राप्त है।
17. स्वीकृतादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनु0:- परिशिष्ट-I

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/कार्य-33/2015 राँची, दिनांक-.....

प्रतिलिपि: योजना -सह- वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:- परिशिष्ट -I

ह0/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/कार्य-33/2015 राँची, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:- परिशिष्ट -I

ह0/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/कार्य-33/2015 राँची, दिनांक-.....

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-11, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/प्रबंध निदेशक, झालको, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

अनु0:- परिशिष्ट -I

ह0/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/कार्य-33/2015 राँची, दिनांक-.....

प्रतिलिपि: आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:- परिशिष्ट -I

ह0/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/कार्य-33/2015 राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु०:- परिशिष्ट -I

ह०/-

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पत्रांक-3/पी०एम०सी०/कार्य-33/2015 राँची, दिनांक- 21.04.2017

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु०:- परिशिष्ट -I

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभियंत्रण)

पलामू जिलान्तर्गत झालको द्वारा करार जाने वाले उद्वह सिंचाई योजना निर्माण की सूची :-

(राशि लाख रु० में०)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	योजना का नाम	जिला	प्रखण्ड	प्राप्तकलित राशि	सिंचन क्षमता (हे०में०)			Incidence of Cost (Rs./ Ha)	10% ब्याज पर B.C. Ratio	शीर्ष
						खरीफ	रब्बी	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्रबंध निदेशक झालको, सैवी।	ग्राम टंडवा में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	पलामू	पाटन	53.020	40	38	78	67,974	1.8840	OSP
2		ग्राम गोलुना में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	पलामू	पंडवा	53.987	44	38	82	65,838	1.8600	OSP
3		ग्राम बटसारा में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	पलामू	पंडवा	53.280	150	90	240	22,200	5.8800	OSP
4		ग्राम मुरमा में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	पलामू	पंडवा	58.638	40	70	110	53,307	2.4800	OSP
5		ग्राम पंडवा में उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण	पलामू	पंडवा	56.875	40	36	76	74,836	1.6680	OSP
					275.800	314	272	586			

पत्रांक 03117-18 प्र.सी. दिनांक 21.04.2017

उप सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग
21/04/17